(3)

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2021 अपील

1. आनन्द पिता कामदत्त अग्रवाल निवासी सी – 189, काशीपुरी, भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण संख्या 118/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.3.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण संख्या 118/2020 दिनांक 28.12.2020 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का बन का खेडा द्वारा ग्राम चावण्डिया की आराजी संख्या 1075 रकबा 10 बिस्वा में अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताते हुये तथा अपीलाण्ट द्वारा पक्की दीवार का निर्माण कार्य का कथन करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिये बिना ही एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किये बिना ही उक्त वर्णित आराजियात से बेदखल करने एवं 13/– रूपये शास्ति आरोपित करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह पूरी तरह विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। मौके पर सोमिला टैक्स फेब इण्डिया प्रा. लि. के औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तनुशुदा खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1231/1074 पर उद्योग स्थापित हैं तथा यह भूमि सोमिला टैक्स फैब प्रा.लि. द्वारा दिनांक 16.10.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी। पटवार हल्का से मौके का सीमांकन करवाया गया, उसी अनुसार चार दीवार बनी होकर कब्जा चला आ रहा हैं। वर्तमान पटवारी हल्का अनुसार अतिक्रमित आराजी संख्या 1075 पर बताया है जो पूरी तरह गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के सशपथ बयान नही हुये तथा न ही अपीलाण्ट को कोई जिरह का अवसर प्रदान किया गया। यदि अपीलाण्ट को जिरह का अवसर दिया जाता तो सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आते। प्रकरण में वादग्रस्त स्थल जिसे अतिक्रमण बताया गया हैं, हालांकि वह अतिक्रमण नहीं हैं फिर भी वह कब्जेशुदा भूमि सोमिला टैक्स फेब (इण्डिया) प्रा. लि. के खातेदारी की हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं तथा ज्यूरिसिटिक परसन हैं। जिसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाण्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मूल खातेदार को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

प्रस्तुत अपील प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

(3)

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2021 अपील

1. आनन्द पिता कामदत्त अग्रवाल निवासी सी – 189, काशीपुरी, भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण संख्या 118/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91

उपस्थित –

1. श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 30.3.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बडलियास प्रकरण संख्या 118/2020 दिनांक 28.12.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का बन का खेडा द्वारा ग्राम चावण्डिया की आराजी संख्या 1075 रकबा 10 बिस्वा में अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताते हुये तथा अपीलाण्ट द्वारा पक्की दीवार का निर्माण कार्य का कथन करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिये बिना ही एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किये बिना ही उक्त वर्णित आराजियात से बेदखल करने एवं 13/– रूपये शास्ति आरोपित करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह पूरी तरह विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं। मौके पर सोमिला टैक्स फेब इण्डिया प्रा. लि. के औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तनुशुदा खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1231/1074 पर उद्योग स्थापित हैं तथा यह भूमि सोमिला टैक्स फैब प्रा.लि. द्वारा दिनांक 16.10.2014 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी। पटवार हल्का से मौके का सीमांकन करवाया गया, उसी अनुसार चार दीवार बनी होकर कब्जा चला आ रहा हैं। वर्तमान पटवारी हल्का अनुसार अतिक्रमित आराजी संख्या 1075 पर बताया है जो पूरी तरह गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के सशपथ बयान नही हुये तथा न ही अपीलाण्ट को कोई जिरह का अवसर प्रदान किया गया। यदि अपीलाण्ट को जिरह का अवसर दिया जाता तो सही तथ्य न्यायालय के समक्ष आते। प्रकरण में वादग्रस्त स्थल जिसे अतिक्रमण बताया गया हैं, हालांकि वह अतिक्रमण नहीं हैं फिर भी वह कब्जेशुदा भूमि सोमिला टैक्स फेब (इण्डिया) प्रा. लि. के खातेदारी की हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं तथा ज्यूरिसिटिक परसन हैं। जिसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाण्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी जो विधि सम्मत नही होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मूल खातेदार को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

प्रस्तुत अपील प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिदक्ता ने अपील मेमो मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

(9)

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मूल खातेदार को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि नायब तहसीलदार बडलियास ने ग्राम चावण्डिया की आराजी नं. 1075 रकबा 10 बिस्वा किस्म चरनोट भूमि पर दीवार पक्की तीन कमरे पक्के उपर टीन शेड का अतिक्रमण करने से अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि का वार्षिक लगान का 50 गुणा 13/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल करने के लिए अप्रार्थी को दण्डित करने का दिनांक 28.12.2020 को आदेश पारित किया गया जो सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम चावण्डिया के आराजी नं. 1075 रकबा 10 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह पर आनन्द पिता कामदत्त अग्रवाल निवासी सी – 189 काशीपुरी भीलवाडा के द्वारा अतिक्रमण कर पक्की दीवार बनाने पर न्यायालय नायब तहसीलदार बडलियास में प्रकरण संख्या 118/2020 में दर्ज कर दिनांक 28.12.2020 से बेदखल करने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के परीक्षण अनुसार आराजी नं. 1075 किस्म चारागाह रकबा 10 बिस्वा में दीवार पक्की, तीन कमरे पक्के ऊपर टीन सेड निर्मित करना पटवारी हल्का उन का खेडा की रिपोर्ट में अंकित हैं। मौका पर्चा नही बनाया गया। न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध नही किये गये। अपीलार्थी ने आराजी नं. 1075 रकबा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण नही होना बताया, जबकि आराजी नं. 1231/1074 पर उद्योग स्थापित कर रखा हैं। दीवार पक्की व कमरे टीन शेड का निर्माण सम्परिवर्तनशुदा आराजी नं. 1231/1074 में होना बताया हैं। अपीलार्थी की रजिस्टर्ड क्रयशुदा आराजी नं. 1231/1074 सम्परिवर्तनशुदा क्षेत्रफल 1836 में उक्त निर्माण के पूर्व में ही स्थापित होना बताया हैं। ऐसे में मौके की वस्तुस्थिति का स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता हैं। नायब तहसीलदार बडलियास की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर अपीलार्थी की क्रयशुदा आराजी नं. 1231/1074 का नियमानुसार सीमाज्ञान करवाकर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार बडलियास के प्रकरण सं0 118/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 के क्रम में आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रकरण रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बडलियास को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम चावण्डिया में अपीलार्थी की क्रयशुदा आराजी नं. 1231/1074 का नियमानुसार सीमाज्ञान अपनी स्वयं की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त कर, प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में विधिवत प्रावधानों के तहत एक माह में निस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसीलदार बडलियास को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा